कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा (राज.)

-ःप्रेसनोटः-

दिनांक - 10.01.2018

(1) 4 सगे भाईयों ने मिलकर की 1 भाई की हत्या के आरोपी गिरफ्तार:-

दिनांक 09.01.2017 की सांयः करीब 7.00 बजे प्रार्थी श्री बदामीलाल पुत्र गोतम लाल जाति खाट निवासी ओडवा थाना अरथूना प्रार्थी के साथ उसके सगे भाई (1) वासु पुत्र गोतमलाल, (2) सीताराम पुत्र गोतम (3) हरीश पुत्र गोतमलाल (4) बापुलाल पुत्र गोतमलाल, निवासी ओडवा को आपसी विवाद को लेकर मारपीट की। सूचना प्राप्त होते ही तुरन्त थाना अधिकारी अरथूना मय पुलिस बल मौके पर पहुचे। प्रार्थी को ईलाज हेतु अरथूना हॉस्पीटल भेजा गया। जहां से श्री बदामीलाल के परिजन गुजरात ईलाज के लिये ले जा रहे थे कि रास्ते में श्री बदामीलाल की मृत्यु हो गई।

प्रार्थी बदामीलाल के साथ मारपीट करने वाले सगे भाई मारपीट कर फरार हो गये। उपरोक्त घटना को लेकर थाना अरथूना पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये श्री सुभाषचन्द्र, थाना अधिकारी अरथूना मय पुलिस थाने के पुलिस बल की टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करा कर अन्तिम संस्कार कराया गया ।

पुलिस टीम द्वारा अपराधियों की सरगर्मी से तलाश प्रारम्भ की गई। आस-पास के क्षेत्र में सादा वस्त्रों में पुलिस बल लगाया जाकर मूखबिर मामूर किये गये । तकनिकी विश्लेषण किया जाकर सूचना एकत्रित की गई। अपराधियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा उस स्थान की घेराबन्दी कर चारो अपराधियों (1) वासु पुत्र गोतमलाल, (2) सीताराम पुत्र गोतम (3) हरीश पुत्र गोतमलाल (4) बापुलाल पुत्र गोतम लाल, निवासी ओडवा को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों से पूछताछ जारी है।

(2) कस्बा कुशलगढ में अज्ञात बदमाशानों द्वारा बसों में आगजनी करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 31.12.17 की प्रातः 5 बजे के लगभग रोडवेज बस स्टेण्ड कुशलगढ पर खडी ज़ूही ट्रावेल्स की बस में आगजनी करने से उसके दांये-बांये खडी ऋतुरात ट्रावेल्स की दो अन्य बसों के भी आग पकडने से तीनों बसे जलकर क्षतिग्रस्त हो गयी। जिस पर थाना कुशलगढ़ में आपरधिक प्रकरण दर्ज किया गया।

प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये श्री ब्रजराजसिंह, पुलिस उप अधीक्षक, वृत कुशलगढ के नेतृत्व में श्री रामेश्वर, पुलिस निरीक्षक, थाना अधिकारी कुशलगढ, श्री हरिषचन्द्र सिंह, अब्दुल रहमान मय पुलिस थाने के पुलिस बल की एक टीम गटित की गई ।

पुलिस टीम द्वारा आगजनी कर अपराध करने वाले अपराधियों की एक सूची बनाई गई। आस-पास के क्षेत्र मध्यप्रदेश, गुजरात, राज्यों में गहनता से तलाशी कर मूखबिर मामूर किये गये। तकनिकी विश्लेषण किया जाकर सूचना एकत्रित की गई। गोपनीय सूचना एंव तकनिकी विश्लेषण पर हेमराज पिता पारू जाति बारीया भील उम्र 31 वर्ष निवासी नेगडीया थाना कल्याणपुरा जिला झाबुआ (मध्य प्रदेश) व भूरीया पिता मंगलिया जाति वसुनीया भील उम्र 27 वर्ष निवासी सुल्ला महुडा थाना कल्याणपुरा जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) का नाम सामने आया ।

पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अपराधियों के घर नेगडीया व सुल्ला महुडा मध्यप्रदेश में दबिशे देकर गिरफ्तार किया गया। दोनो अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ की गई जिस पर अपराधियों ने अपराध करना स्वीकार किया । अभियुक्तों से पूछताछ जारी है।

(कालूराम रावत)
पुलिस अधीक्षक
जिला बांसवाड़ा